अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
22.12.2014	**न्यायालय, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा** आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 92–57/2011 अपीलार्थी – शोभा कुमारी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य व अन्य **–: आदेश :–** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के ज्ञापांक 845–1 दिनांक 16.08.2011 एवं ज्ञापांक 871–1/ प्रो० दिनांक 19.08.2011 द्वारा पारित दो आदेश के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु दायर किया गया है। यह दोनों ही आदेश से अपीलार्थी को चयन मुक्त किया गया है। इस अपीलवाद में पहला आरोप यह है कि महिला पर्यवेक्षिका कुमारी मधुलिका द्वारा दिनांक 19.07.2011 को केन्द्र सं0–33 कोपा मुशहरी, किशनपुर पंचायत का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सेविका/सहायिका के अनुपस्थित रहने एवं केन्द्र से संबंधित कोई भी अभिलेख उपस्थापित नहीं करने का आरोप है। एक दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि दिनांक 15.08.11 को महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ जब क्षेत्र भ्रमण के लिए निकली तो उनके साथ सेविका शोभा कुमारी एवं सहायिका ने अभद्र व्यवहार किया जिस आरोप के कारण उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से चयन मुक्ति आदेश निर्गत किया गया इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा को दिए गए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में केन्द्र की सेविका शोभा कुमारी एवं सहायिका को अपना स्पष्टीकरण दिनांक 18.08.11 को देने हेतु नोटिस निर्गत किए। निर्धारित तिथि को सेविका द्वारा अपना स्पष्टीकरण भी दिया गया।	

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई है जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष साक्ष्य एवं सबूत के तौर पर कागजात अवलोकन हेतु उपस्थिापित किए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बतलाया कि निरीक्षी पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को समर्पित किया गया वह पूरी तरह असत्य एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित है जिसके आधार पर चयन मुक्ति आदेश पारित किया गया वह भी असत्य एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि महिला पर्यवेक्षिका का जाँच प्रतिवेदन जो दिनांक 19.07.2011 का अवलोकन कराया गया उसमें केन्द्र की सेविका श्रीमती शोभा कुमारी सहायिका मंजू देवी दोनों को निरीक्षण तिथि में अनुपस्थित दिखाया गया है, जबकि निरीक्षण पंजी जो सी0डी0पी0ओ0 पतरघट द्वारा स्वंय अभिप्रमाणित कर उपलब्ध कराया गया है उसमें निरीक्षी पदाधिकारी पर्यवेक्षिका मधुलिका ने यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि केन्द्र दिनांक 19.07.2011 को संचालित पायी। अतः निरीक्षी पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन ही सफेद झूठ एवं असत्य है एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने बहस में बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी ने जाँच की तिथि 19.07.11 को केन्द्र बन्द रहने की बात लिखी है जब कि आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका की उपस्थिति पंजी में उक्त तिथि को उनका हस्ताक्षर बनाया हुआ है उपस्थिति पंजी भी सी0डी0पी0ओ0 पतरघट द्वारा भी अभिप्रमाणित कर उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन में यह अंकित बातें कि जाँच के समय कोई भी अभिलेख उपस्थापित नहीं किया गया है ये बातें भी असत्य एवं मनगढंत है क्योंकि निरीक्षण की तिथि 19.07.11 को निरीक्षी पदाधिकारी ने केन्द्र के निरीक्षण पंजी में खुद लिखी है कि केन्द्र संचालित पाई अतः यह कथन भी की कोई अभिलेख अवलोकन नहीं कराया गया असत्य प्रतीत होता है। क्योंकि उन्हें निरीक्षण पंजी उपलब्ध कराया गया तब ही वे अपना निरीक्षण टिप्पणी अंकित की है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बतलाया कि जहाँ तक दिनांक 15.08.11 को पर्यवेक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है वह भी सच्चाई से परे है क्योंकि उन्होंने बतलाया कि कुमारी मधुलिका महिला पर्यवेक्षिका इस पद पर आने से पहले खुद सत्तर कटैया प्रखंड में चुनाव जीत कर जिला परिषद सदस्या के रूप में कार्य कर चुकी है एवं इनके पति बाहुवली एवं दबंग प्रवृत्ति के हैं महिला पर्यवेक्षिका जब भी क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो उनके साथ उनके पति साथ रहते हैं एवं बाहुवली एवं दबंगता के बदौलत केन्द्रों से अवैध राशि की माँग किया करते हैं जो भी केन्द्र की सेविका/सहायिका अवैध राशि देने में आनाकानी करते हैं उन पर झूठा आरोप लगाकर अपने प्रभावशाली व्यकित्व व दबंगता बदौलत उन्हें हटाने की धमकी देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महिला

पर्यवेक्षिका के पति पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा बिहरा थाना कांड सं0– 97/07 के तहत् आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जो उनके क्रियाकलाप व व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने चयन मुक्ति आदेश देने से पूर्व सेविका से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया एवं बिना स्पष्टीकरण पूछे ही पर्यवेक्षिका के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर चयन मुक्ति आदेश दिनांक 16.08.11 को निर्गत कर दिए जबकि सेविका को उन्होंने दिनांक 18.08.11 को स्वंय उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने हुतु निर्देश दिए थे परन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दिनांक 16.08.11 के तिथि में ही सेविका को चयन मुक्ति आदेश निर्गत कर दिए यह तो खुद पत्र विरोधाभाषी एवं हास्यास्पद है। यहाँ भी माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना के पारित निर्देशों व विभागीय मार्गदर्शिका का उल्लंघन किया गया जो गलत है। विभागीय पत्रांक 1998 दिनांक 12.06.12 में स्पष्ट वर्णित है कि सेविका को सुनवाई का मौका दिया जायेगा, जिसका यहाँ अभाव दिखा।

उपरोक्त सारे पक्ष–विपक्ष, कागजात, साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश पूर्णतः न्यायोचित नहीं है क्योंकि एक तरफ आरोपित सेविका को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु दिनांक 18.08.11 को तिथि निर्धारित करते हैं, जबकि चयन मुक्ति आदेश स्पष्टीकरण की प्राप्ति की निर्धारित तिथि से दो दिन पहले ही 16.08.11 की तिथि में कर देते हैं, यानी सेविका को अपना पक्ष रखने का एक मौका भी देना उचित नहीं समझते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरफ निरीक्षी पदाधिकारी यह अपने प्रतिवेदन में लिखती हैं कि केन्द्र बन्द पाया जबकि दूसरी तरफ केन्द्र के निरीक्षी पुस्तिका में यह लिखते हैं केन्द्र संचालित है दोनों बाते विरोधाभाषी है। जहाँ तक वरीय पदाधिकारी के साथ सेविका/सहायिका के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में अभद्र व्यवहार करने का सवाल है यह बाते निंदनीय एवं दुखद है इस प्रकार की अभद्र घटना, मार पीट की जितनी निन्दा की जाय वह एक प्रकार से कम ही है। अगर सेविका को अपने महिला पर्यवेक्षिका से किसी प्रकार की दिक्कते पहले से होती थी तो इस आशय का शिकायत उच्चाधिकारी के पास रखना चाहिए न कि अभ्रद व्यवहार करना किन्तु सेविका द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय महिला पर्यवेक्षिका से अभद्र व्यवहार करना एक अपराध है।

अपीलार्थी के अपीलवाद को स्वीकार करते हुए उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का दो आदेश ज्ञापांक 845–1 दिनांक 16.08.11 एवं ज्ञापांक 871/प्रो0 दिनांक 19.08.11 पूर्णतः न्यायोचित नहीं है इसे निरस्त किया जाता है। सेविका को अपना पक्ष रखने का एक मौका न देना Natural justice का उल्लंघन है। किन्तु केन्द्र की सेविका को अपने वरीय पदाधिकारी के

साथ अभद्रता के साथ पेश आने के जुर्म में एक माह के बराबर पूरक पोषाहार की राशि आर्थिक दण्ड के रूप में सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश देती है साथ ही पत्र निर्गत के तिथि से उन्हें प्रश्नगत केन्द्र पर सेविका पद पर चयन बरकरार रखती है। सेविका श्रीमती शोभा देवी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत केन्द्र पर सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम को पूरी मुस्तैदी एवं जबावदेही के साथ निर्वहण करेंगी। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। अन्यथा भविष्य में इस प्रकार के आचरण वरीय पदाधिकारी के साथ अभद्रता से पेश आने पर कठोरतम कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।

लेखापित एवं संशोधित

22.12.2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रसंडल, सहस्सा

22.12.2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा